# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

**प्रा0 प0 संख्या 100/2019**

1. ओमप्रकाश
2. भवानीशंकर
3. मनोहरलाल पुत्रगण स्व0 सीताराम
4. उर्मिला देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
5. ममता देवी पुत्री स्व0 बाबूलाल पत्नि दीपक हाल पतिघर कंवरपुरा रोड़ बालाजी मंदिर के सामने सीकर तहसील व जिला सीकर
6. विकास पुत्र स्व0 बाबूलाल जाति जांगिड़ निवासी ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
7. छोटी देवी पत्नि स्व0 सीताराम जाति जांगिड़ निवासीनी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थीगण–

## बनाम

1. गोवन्दिराम
2. चुन्नीलाल
3. बोदुराम
4. रतनलाल पुत्रगण स्व0 हनुमान समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
5. हल्का पटवारी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर
6. उप पंजियक सीकर
7. तहसीलदार सीकर
8. मोहनलाल सोनी पुत्र मदनलाल सोनी निवासी वार्ड नम्बर 22 रामलीला मैदान सीकर तहसील व जिला सीकर

– अप्रार्थीगण –

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

**आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित –वकील प्रार्थीगण – श्री प्रभातीलाल
वकील अप्रार्थीगण – श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां

# निर्णय

दिनांक : 13.1.2023

वकील प्रार्थीगण ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी सख्या 9 एक ही खानदान के होकर स्व0 हनुमान के वारिसान है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी सख्या 9 के संयुक्त कब्जे कात व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 674, 34/2, 25, 26, वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें खसरा नम्बर 34/2 में 1/4 एवं शेष खसरा नम्बरान में 1/5 हिस्से प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी सख्या 9 का है । सीताराम का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 का नाम दर्ज नहीं है। काश्तकारान में अपनी [illegible]यों को अलग अलग काश्त किया है। खसरा नम्बर 25, 26 व 674 में प्रार्थी सख्या 1 ता 3 के पिता सीताराम का 1/5 हिस्सा की एवं खरा नम्बर 34/2 में 1/4 हिस्सा की खातेदारी होने के कारण प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी सख्या 9 संयुक्त रूप से आने हिस्सेनुसार काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी सख्या 9 अपने हिस्सों की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाना चाहते हैं क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एवं 8 प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता के जीवनकाल से ही प्रार्थीगण को नुकसान पहूंचाने पर आमादा हैं। जिन्होने प्रार्थी के पिता की सहखातेदारी भूमि 34/2 व 26 का सहमति बंटवारानाम पर फर्जी कुटरचित हस्ताक्षर करके कागजी विभाजन वर्ष 2013 में अभियान के दौरान करवा लिया था उस समय उनके पिता केंसर की बीमारी से पीड़ित थे जिनके पैर मे फेक्चर हो रखा था तथ कोमा की स्थिति में घर में ही चारपाई पर ईलाजरत थे जिनका अभियान के डेढ महिने बाद निधन हो गया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को 2019 में हुई। जिसके संबंध में फौजदारी कार्यवाही भी की जा रही है। उक्त कूटरचित कार्यवाही से प्रार्थीगण को यह पूर्णतया अंदेशा है कि अप्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 674 बेशकिमती भूमि के संबंध में भी विभाजन बाबत फर्जीवाड़ा करके अच्छी भूमि लेकर उनके हिस्से में कम कीमती भूमि छोड़ सकते हैं। जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हुआ है। 2013 के अभियान में करवाया गया बंटवारानामा प्रारम्भ से ही प्रभावहीन व शुन्य है तथा उक्त आदेश से नामा0 संख्या 1477 व 1478 दिनांक 30.1.2013 को दर्ज करवाकर अलग खसरा नम्बर अंकित करवा लिये जबकि मौके पर सहखातेदारान के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवदेन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से तादौराने दावा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे कृषि भूमि खसरा नम्बर 674, 25 में 26 के विभाजित खसरा नम्बर 1445/26, 1446/25, 1447/25, 1448/26, 1449/26,1450/26 एवं खसरा नम्बर 34/2 के विभाजित खसरा नम्बर 1444/34,1441/34, 1442/34 व 1443/34 वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि को खुर्द बुर्द करने मौका की वास्तविक स्थिति को परिवर्तित करने, कच्चा पक्का निर्माण करने रहन व अन्तरकण करने एवं अकृषि प्रयोजन के काम में लेने से प्रतिबंधित रहें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 8 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 8 ने जवाब पेश कर अपने जवाब में तथ्य अंकित किये कि विवादित भूमियों का मौके पर बाहमी बंटवारा स्व0 हनुमान ने अपने सभी 5 पुत्रों में अपने जीवनकाल में ही अर्सा करीब 50 वर्ष पूर्व कर दिया था तब से ही उसके पुत्र अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में शामलाति होने के कारण प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में कैम्प गोकुलपुरा में विधिवत न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपना बंटवारा करने हेतु सर्वसम्मती से पेश किया जो सर्वसम्मती से मंजूर होकर कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी दर्ज हो गई एवं अलग अलग खसरा नम्बर का अंकन हो गया । विवादित भूमियों का बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर पूर्व में हो चुका है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण या इनके पूर्वज को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया है ना ही ऐसी कोई मंशा रखी है। प्रार्थीगण के पूर्वज सेकण्ड ग्रेड अध्यापक के पद पर नियुक्त थे तथा प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत हुऐ थे। खसरा नम्बर 26 व 34/2 का सहमति से बंटवारानाम पूर्ण होश हवास में में किया गया था जिसमें कोई फर्जी कार्यवाही या कुटरचित हस्ताक्षर नहीं किये गये। बंटवारानाम लिखाने के लिये प्रार्थी सख्या 3 स्वयं स्टाम्प खरीद कर लाये थे। तत्समय संख्य 1 ता 3 के पिता के पैर में मोच अवश्यक थी परन्तु उस दिन कैंसर की बीमारी की कोई जानकारी न तो प्रार्थीगण को थी ना ही स्वयं सीताराम को थी। स्वयं प्रार्थी सख्या 3 मोटरसाईकिल पर बैठाकर लेकर गया था व बंटवारानाम पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी करवाई जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है। यही कारण है कि खसरा नम्बर 1445/26

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

रकबा 0.482 है0 की भूमि पर आज से 6 माह पूर्व प्रार्थीगण ने तारबंदी की है तथा ट्यूबवैल हेतु बोरिंग करवाया है। बंटवारा के पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 ने खसरा नम्बर 26 में अपने अपने हिस्से में आवासीय मकान बना लिये है। अप्रार्थी सख्या 3 ने अर्सा करीब 20 वर्ष पूर्व मकान बना लिया था तथा अप्रार्थी सख्या 4 ने करीब वर्ष पूर्व तथा अप्रार्थी सख्या 2 ने करीब 5 वर्ष पूर्व मकान बना लिये थे। खसरा नम्बर 674 बाबादी भूमि से घिरी हुई है। जिसे पूर्वज हनुमान ने अपने पांचों पुत्रों को बहिस्सा बराबर विभाजित कर दिया तथा जहां सभी ने अपने अपने हिस्से में मकान बना रखे है। इस प्रकार बंटवारा हो जाने के कारण प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमियों के बाबत तहसीलदार द्वारा सर्व सम्मति से बंटवारानाम प्रस्तुत करने पर बंटवारे की स्वीकृति दी गई है एवं उसी के आधार पर नामा0 सख्या 1477 व 1478 स्वीकृत किये गये है जो विधिनुसार वैध है। कूटरचित हस्ताक्षरों के अभिवचनों के आधार पर प्रस्तुत वाद न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का न होकर सक्षम सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। अपने विशेष कथन में अंकित किया है कि वर्ष 2013 में किये गये बंटवारे में क्या कमी रहीं है या भूमि कम बेशी दी गई है या कौनसी भूमि बेशकिमती है या कौनसी कम किमती है के बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं है जो प्रमाणित करता है कि प्रार्थीगण उक्त बंटवार से सहमति है परन्तु जवाबदातागण को हैरान व परेशान करने के लिये दावा प्रस्तुत किया है। 50 वर्ष पूर्व किये बंटवारे के अनुसार वादीगण के पूर्वज सीमाराम ने अपने हिस्से की भूमि पर सीमेन्ट के पाईप गाड़ कर पानी को दो होदिया बनाई तथा उनसे सिंचाई करते थे। जो आज भी मौजूद है। अपने पूर्वजों के किये गये बंटवारे के आधार पर खसरा नम्बर 34 में अप्रर्थी चुन्नीलाल ने अपना हिस दिनांक 8.12.2004 को विक्रय कर दिया था तथा क्रेता ने दिनांक 24.1.2007 को वह हिस्सा मोहनलाल को विक्रय कर दिया जिस पर वह वर्तमान के काबिज काश्त है तथा 2044 से तार की हुई है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई बरवक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि विभाजन के लिये सीताराम केंसर से पीड़ित होने एवं पैर में फ्रेक्चर होने के कारण कैम्प में उपस्थित नहीं हुआ। विभाजन की अपील जिला कलक्टर न्यायालय में विचाराधीन है। बंटवाराना में मेन रोड़ की जमीन इन्होने दर्ज करवा ली तथा पिछे की जमीन हमारे खाते में डलवा दी। कूटरचित दस्तावेजात बाबत एफआईआर दर्ज है जो विचाराधीन है। जिला कलक्टर के न्यायालय में अपील में नामा0 पर निर्णय होगा बंटवारे पर नहीं इसलिये ये पेरेलल नहीं है। यदि स्टे खारिज किया है तो प्लाटिंग करके भूमियों को बेच देगें। बंटवारेनामे पर अंगूठा क्यूं

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

लगाया जब वे सरकारी कर्मचारी थे। वकील प्रार्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन में आरआरटी 2020 (2) पेज 1081, आरआरटी 2021 (1) पेज 333, डीएनजे 2021 (2) पेज 1016 एवं डीएनजे 2021 (2) पेज 901 की नजीरें पेश की। वकील अप्रार्थीण ने जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुऐ तर्क किया कि बंटवारे से इन्हे क्या नुकसान हुआ इसके बाबत कोई प्लीडिंग नहीं है। बंटवारे के दिन सीताराम के कैंसर नहीं थी सीताराम को स्वयं को जानकारी नहीं थी। यदि पुलिस जांच नहीं करवा रही है तो स्वयं प्राईवेट एक्सपर्ट से जांच करवा सकते है। हस्ताक्षर फर्जी नहीं है। मनोहरलाल न्यायालय केम्पस में आकर स्टाम्प लेकर गया है। ऐसी प्रक्रियाओं में डिकलेरेशन की छूट दी जायेगी तो राज्य सकार की कानूनी सहायता की मंशा ही बेकार हो जायेगी। जिला कलक्टर के यहो अपील लम्बित है तो वहां तय हो जायेगा । पेरेलल प्रोसीडिंग क्यूं चलाई गई। रही। बाद बहस दिनांक 13.1.2023 की वकील प्रार्थीगण ने एक आवेदन 151 सीपसी का मय दस्तावेजात के पेश कर निवेदन किया कि निर्णय से पूर्व दस्तावेजात का भी परिक्षण किया जावे। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 चुन्नीलाल द्वारा एक आवेदन आदेश 39 नियम 4 मय 151 सीपीसी का पेश कर उसकी पौत्री की शादी दिनांक 27.1.2023 को होने के कारण पूर्व से बने मकान के उपर पूर्व से निर्मित दो कमरे लेट बाथ व टेरिस पर छत डालने तथा शादी हेतु टेन्ट लगाने की हद तक स्थगन में स्थिलता प्रदान किये जाने का पेश किया। जो अंतिम बहस होने के कारण नोट प्रेस किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–78 के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 1447/26, 25 एवं 674 की खातेदारी प्रार्थीगण के पूर्वज सीताराम व अप्रार्थी सख्या 1 ता 4 के नाम हिस्सा 1/5 दर्ज है। ख0 नं0 1442/34 व 1446/26 की खातेदारी अप्रार्थी सख्या 1 के नाम। ख0 नं0 1443/34 व 1448/26 की खातेदार अप्रार्थी सख्या 4 के नाम। ख0 नं0 1441/34 व 1445/26 की खातेदारी प्रार्थीगण के पूर्वज सीताराम के नाम। ख0 नं0 1449/26 की खातेदारी अप्रार्थी सख्या 3 के नाम । ख0 नं0 1450/26 की खातेदारी अप्रार्थी सख्या 2 के नाम दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उक्त विभाजित खसरा नम्बर कैम्प में प्रस्तुत बंटवारेनामा के आधार पर होना प्रमाणित है। प्रार्थीगण का प्रमूख कथन यह है कि उक्त बंटवारानामा फर्जी व कूटरचित है क्योंकि प्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी सीकर

Scanned with Oken Scanner

पूर्वज सीताराम बंटवारे के दिन कैंसर से पीड़ित था तथा पैर फ्रेक्चर होने के कारण घर पर ही था तथा उसके फर्जी हस्ताक्षर कर बंटवारा करवाया गया है। जिसके जवाब में अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि प्रार्थीगण के पूर्वज सीताराम या उनके परि[illegible] व अप्रार्थीगण को बंटवारे के दिन तक सीताराम के कैंसर होने की जानकारी नहीं थी पैर में मोच थी। जिसके कारण सीताराम को अप्रार्थी संख्या 3 मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गया था। वकील प्रार्थीगण के कथनों के अनुसार उक्त फर्जी हस्ताक्षर बाबत एफआईआर दर्ज करवाई हुई है जो विचाराधीन है। उक्त बंटवारा से खुले नामा0 के बाबत एक अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर के यहां विचाराधीन है। वकील प्रार्थीगण द्वारा निर्णय से पूर्व दस्तावेजात भी पेश किये गये जिनका भी परिक्षण किया गया । प्रकरण में मुख्य वाद कारण उक्त बंटवारानामा पर फर्जी हस्ताक्षर होने का है। जिसका अंतिम निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात ही होना है। जिसके अंतिम निस्तारण से पूर्व यदि विवादित भूमियों को खुर्द बुर्द किया जाता है [illegible] विक्रय अन्तरण किया जाता है तो पक्षकारान के मध्य वाद बाहुलता उत्पन्न होगी। । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होता है।

2. सुविधा का संतुलन – प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।
3. अपूर्णिय क्षति – प्रार्थीगण का पृथम दृष्टया मामला सुदृढ होने के कारण उन्हे अपूर्णिय क्षति होने की संभावना नजर आती है।
4. निष्कर्ष– उपर्युक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कृषि भूमि खसरा नम्बर 674, 25 में 26 के विभाजित खसरा नम्बर 1445/26, 1446/25, 144[illegible]/25, 1448/26, 1449/26,1450/26 एवं खसरा नम्बर 34/2 के विभाजित खसरा नम्बर 1444/34,1441/34, 1442/34 व 1443/34 वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि पर तादौराने वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थित बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर भी गौर किया गया। अप्रार्थी सख्या 2 की पौत्री की शादी होने कारण उसके द्वारा पूर्व से निर्मित मकान के उपर बने मकानों की छत डलवाने सफेदी करवाने या शादी के लिये टेन्ट लगाने आदि पर यह स्थगन लागू नहीं होगा। भूमि के किसी भी भू भाग पर नया निर्माण नहीं किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.1.23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Scanned with Oken Scanner